- Comments/Suggestions are invited till 31-07-2018 on draft guidelines for setting up private Solar Park in Uttar Pradesh

- Comments/Suggestions may be sent through email at ho_nmk@rediffmail.com or compneda@rediffmail.com or may be sent by post at below address :-

Director,
U.P. New and Renewable Energy Development Agency,
Vibhuti Khand,
Gomtinagar,
Lucknow-226010

- This is a draft of the proposed guidelines for setting up private Solar Park in Uttar Pradesh therefore information provided or provisions /incentives proposed are not final. Final guidelines will be issued after the approval of competent authority.

निजी क्षेत्र में सोलर पार्क के विकास/स्थापना सम्बन्धित दिशा–निर्देशः

1. निजी सोलर पार्क दिशा–निर्देशः

प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रतिपादित की गयी है। नीति के क्लाज 8.1.1 के अनुसार प्रदेश में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलर पार्क का विकास एंव स्थापना की जायेगी।

सौर ऊर्जा नीति के क्लाज 8.1.1 ब में उल्लेखित है कि प्रदेश में निजी कम्पनी द्वारा निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जायेगे।

(i) ग्रिड नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता।

(ii) उत्तर प्रदश पावर कारपोरेशन/विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 100 प्रतिशत ऊर्जा क्रय करने का प्रस्ताव दिया जायेगा।

(iii) पूर्णतया थर्ड पार्टी विक्रय अनुमन्य होगी।

2. दिशा– निर्देश संरचना :

निजी क्षेत्र में सोलर पार्क स्थापना के दिशा–निर्देश/ कियाविधि सौर ऊर्जा नीति–2017 के परिधि के अन्दर होगे तथा जहा भी इन दिशा–निर्देश के किसी प्राविधान की व्याख्या की आवश्यकता होने पर, सौर ऊर्जा नीति–2017 की इन दिशा–निर्देशों पर प्रधानता होगी।

3. निजी सोलर पार्क विकास/स्थापना कियाविधिः

निजी निवेश द्वारा सोलर पार्क का विकास/स्थापना निम्न मोड में की जायेगी।

अ नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ सोलर पार्क की स्थापना :

अ1 स्थापित सोलर पावर पार्क से 100 प्रतिशत पावर यूपीपीसीएल को विक्रय –

(i) इस स्थापना मोड के अन्तर्गत सोलर पार्क की स्थापना निजी उद्यमी द्वारा बिना राज्य सरकार की एजेन्सी की इक्यूटी प्रतिभागिता के साथ अथवा राज्य सरकार की एजेन्सी की इक्यूटी प्रतिभागिता के साथ स्थापित किया जायेगा।

(ii) सोलर पार्क स्थापना मोड में निजी सोलर पार्क निजी उद्यमी सोलर पावर पार्क विकासकर्ता होगा (एस.पी.पी.डी)।

(iii) इस सोलर पार्क की स्थापना मोड के अन्तर्गत सेालर पार्क की स्थापना हेतु भूमि पूर्णतयः सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) सोलर पार्क की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट तथा अधिकतम क्षमता 200 मेगावाट होगी।

(v) नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार की सोलर पार्क स्थापना दिशा–निर्देश के अनुसार सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन बिडिंग के द्वारा किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति–2017 के कियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिड आमंत्रित की जायेगी।

सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिडिंग चिन्हित भूमि को विकसित करने हेतु दर प्रति मेगावाट एवं वार्षिक आपरेशन एण्ड मेन्टनेन्स चार्जे प्रति मेगावाट के आधार पर करायी जायेगी। ये दरें वह होगी जो कि सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सौर परियेाजना विकासकर्ता से प्राप्त की जायेगी। सोलर पावर पार्क विकासकर्ता जिससे न्यूनतम दर प्राप्त होगी, को स्वयं क्रय/लीज पर प्राप्त भूमि पर सोलर पावर पार्क स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(vi) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता निम्न कार्यो के सम्पादन/व्यवस्था/निर्माण हेतु उत्तरदायी होगाः–

1. सोलर पार्क के लिये भूमि प्राप्त करना, उक्त की लेवलिंग, डेवलपमेंट लैण्ड पार्सल की Plotting।
2. सोलर पार्क तक की अप्रोच रोड एंव सोलर पार्क के अन्दर विभिन्न प्लाटस के कनेक्टिंग एक्सेस (access) सड़क।
3. सोलर पार्क के आन्तरिक विद्युत निकासी व्यवस्था हेतु पूलिंग स्टेशन एंव विद्युत पारेषण करने हेतु पारेषण तंत्र का निर्माण, मीटरिंग।
4. सोलर पार्क के लिये कनेक्टीविटी प्राप्त करना।

5. सौर परियोजनाओं की निर्माण हेतु जल उपलब्धता, आन्तरिक ड्रेनेज, बाढ़ से जलभराव को रोकने संबंधित व्यवस्था।
6. सोलर पार्क में टेलीकम्यूनिकेशन सुविधा प्रदान करना।
7. सोलर पार्क में वेयरहाऊस, पार्किंग आदि।

(vii) चिन्हित सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को सेालर पावर पार्क येाजनान्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत केन्द्रिय वित्तीय सहायता रू. 12.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियेाजना मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो उपलब्ध होगी।

(viii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को केन्द्रिय वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा सेालर पार्क येाजनान्तर्गत निर्धारित माईलस्टोन एंव पार्क के अन्दर सोलर पावर परियेाजनाओं की स्थापना हेतु लेटर ऑफ एवार्ड निर्गत करने के पश्चात उपलब्ध होगी।

(ix) सोलर पार्क के वाहय पारेषण विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र यथा पुलिंग स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पार्क के निकट सबस्टेशन का निर्माण करने का दायित्व उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन में उल्लेखित तकनिकी एंव कामर्शियल प्रोसिजर के अनुपालन करते हुए STU का होगा।

(x) भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदृणीकरण हेतु केन्द्रिय वित्तीय सहायता रू. 8.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा 30 प्रतिशत परियेाजना मूल्य जो भी कम हो एसटीयू को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय–समय पर संशोधन के अनुसार एसटीयू द्वारा वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण अथवा सुदृणीकरण पर एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा आकंलित व्यय का वहन किये जा रहे अंश के अतिरिक्त अवशेष धनराशि वहन की जायेगी। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति एसटीयू द्वारा अपने एआरआर (ARR)में करते हुए की जायेगी।

(xi) सोलर पावर पार्क के अन्दर सौर परियोजनाओ की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा बिडिंग कराई जायेगी।

(xii) सोलर पावर पार्क के अन्दर स्थापित सौर पावर परियोजनाओ से उत्पादित 100 प्रतिशत पावर का क्रय यूपपीसीएल द्वारा किया जायेगा।

(xiii) सोलर पावर पार्क को कनेक्टीवीटी प्राप्त करने में वरियता दी जायेगी।

(xiv) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 18 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि में कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सोलर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टीविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। सोलर पावर पार्क स्थापना हेतु समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।

अ2 स्थापित सोलर पावर पार्क से 100 प्रतिशत पावर तृतीय पक्ष को आपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय :

(i) इस स्थापना मोड के अन्तर्गत सोलर पार्क की स्थापना निजी उद्यमी द्वारा बिना सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया की इक्यूटी प्रतिभागिता के तथा राज्य सरकार की एजेन्सी की इक्यूटी प्रतिभागिता के साथ अथवा बिना राज्य सरकार की इक्यूटी प्रतिभागिता के साथ स्थापित किया जायेगा।

(ii) सोलर पार्क स्थापना मोड में निजी सोलर पार्क निजी उद्यमी सोलर पावर पार्क विकासकर्ता होगा (एस.पी.पी.डी)।

(iii) इस सोलर पार्क की स्थापना मोड के अन्तर्गत सोलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि पूर्णतयः सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) सोलर पार्क की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी।

(v) नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार की सोलर पार्क स्थापना दिशा–निर्देश के अनुसार सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन बिडिंग के द्वारा किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति–2017 के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिड आमंत्रित की जायेगी।

सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिडिंग चिन्हित भूमि को विकसित करने हेतु दर प्रति मेगावाट एवं वार्षिक आपरेशन एण्ड मेन्टनेन्स चार्जे प्रति मेगावाट के आधार पर करायी जायेगी। ये दरें वह होगी जो कि सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सौर परियेाजना विकासकर्ता से प्राप्त की जायेगी। सोलर पावर पार्क विकासकर्ता जिससे न्यूनतम दर प्राप्त होगी, को स्वयं क्रय/लीज पर प्राप्त भूमि पर सोलर पावर पार्क स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(vi) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता निम्न कार्यो के सम्पादन/व्यवस्था/निर्माण हेतु उत्तरदायी होगाः–

1. सोलर पार्क के लिये भूमि प्राप्त करना, उक्त की लेवलिंग, डेवलपमेंट लैण्ड पार्सल की Plotting।
2. सोलर पार्क तक की अप्रोच रोड एंव सेालर पार्क के अन्दर विभिन्न प्लाटस के कनेक्टिंग एक्सेस (access) सड़क।
3. सोलर पार्क के आन्तरिक विद्युत निकासी व्यवस्था हेतु पूलिंग स्टेशन एंव विद्युत पारेषण करने हेतु पारेषण तंत्र का निर्माण, मीटरिंग।
4. सोलर पार्क के लिये कनेक्टीविटी प्राप्त करना।
5. सौर परियोजनाओं की निर्माण हेतु जल उपलब्धता, आन्तरिक ड्रेनेज, बाढ़ से जलभराव को रोकने संबंधित व्यवस्था।
6. सोलर पार्क में टेलीकम्यूनिकेशन सुविधा प्रदान करना।
7. सोलर पार्क में वेयरहाऊस, पार्किग आदि।

(vii) चिन्हित सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को सेालर पावर पार्क येाजनान्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत केन्द्रिय वित्तीय सहायता रू. 12.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियेाजना मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो उपलब्ध होगी।

(viii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को केन्द्रिय वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क येाजनान्तर्गत निर्धारित माईलस्टोन एवं पार्क के अन्दर सोलर पावर परियेाजनाओं की स्थापना हेतु लेटर ऑफ एवार्ड निर्गत करने के पश्चात उपलब्ध होगी।

(ix) सोलर पार्क के वाहय पारेषण विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र यथा पुलिंग स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पार्क के निकट सबस्टेशन का निर्माण करने का दायित्व उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन में उल्लेखित तकनिकी एंव कामर्शियल प्रोसिजर के अनुपालन करते हुए CTU अथवा STU का होगा।

(x) भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदृणीकरण हेतु केन्द्रिय वित्तीय सहायता रू. 8.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा 30 प्रतिशत परियेाजना मूल्य जो भी कम हो एसटीयू/सीटीयू को उपलब्ध होगी तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय–समय पर संशोधन के अनुसार वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण अथवा सुदृणीकरण पर एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा आंकलित व्यय को वहन किये जा रहे अंश के अतिरिक्त अवशेष धनराशि का वहन सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(xi) सोलर पार्क के अन्दर सौर परियोजनाओ की स्थापना एवं उक्त से उत्पादित 100 प्रतिशत पावर तृतीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को स्वतंत्रता होगा।

(xii) सोलर पावर पार्क की कनेक्टीवीटी प्राप्त करने में श्रेणी अ 1 के बाद वरियता दी जायेगी।

(xiii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 18 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सेालर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टीविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।

ब <u>निजी उद्यमी द्वारा बिना केन्द्रिय वित्तीय सहायता के सेालर पार्क की स्थापना।</u>

(i) इस मोड के अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा बिना केन्द्रिय वित्तीय सहायता के सेालर पार्क स्थापना की जायेगी। परन्तु निजी उद्यमी द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का दर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) इस मोड के अन्तर्गत सोलर पावर पार्क के विकास एवं स्थापना हेतु किसी भी कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत इनकारपोरेटेड कम्पनी द्वारा स्वतः अथवा consortium के रूप में यूपीनेडा को आवेदन दिया जा सकता है।

(iii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पार्क की स्थापना एवं क्रय अथवा लीज पर प्राप्त की गयी भूमि पर की जायेगी।

(iv) सोलर पार्क न्यूनतम 100 मेगावाट क्षमता का स्थापित किया जायेगा।

(v) सोलर पार्क का विकास एवं स्थापना हेतु निजी कम्पनी का टर्नओवर पिछले वर्ष
में न्यूनतम रू. 5.00 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से होना आवश्यक है।

(vi) निजी सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा अगर Long term open access एवं CTU से कनेक्टीवीटी प्राप्त की जानी है तो निजी सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से सोलर पार्क योजनान्तर्गत विकसित किये जा रहे सोलर पार्क को सोलर पार्क का दर्जा प्राप्त किया जाना होगा।

(vii) सोलर पार्क का स्टेटस दर्जा प्राप्त करने हेतु सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पार्क विकसित करने का प्रस्ताव एंव पार्क स्थापना के लिए 100 प्रतिशत भूमि क्रय अथवा लीज पर प्राप्त होने सम्बन्धित अभिलेख नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,(एम.एन.आर.ई) भारत सरकार में प्रेषित किये जाने होगें। एमएनआरई द्वारा तदउपरांत ही उक्त पर सैद्वान्तिंक सहमति दी जायेगी।

(viii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा फाइनेन्शियल क्लोजर एवं अप्रोच सड़क, जल उपलब्धता एवं आन्तरिक पारेषण तंत्र के निर्माण हेतु कार्यादेश देने के पश्चात उक्त के अभिलेख एम.एन.आर.ई, भारत सरकार में प्रेषित किये जाने पर एम.एन.आर.ई, भारत सरकार द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को CTU से कनेक्टीवीटी एवं Long term open access की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये जाने के लिए सोलर पार्क का स्टेटस प्राप्त होगा।

(ix) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 100 मेगावाट क्षमता अधिकतम किसी भी क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा सकती है। एक स्थान पर एक साथ भूमि उपलब्ध नही होने पर विशेष स्थिति में सोलर पार्क न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट का भी विकसित किया जा सकता है।

(x) सोलर पार्क का विकास एवं स्थापना के लिये निवेशक चयन एवं अन्य वाणिज्यक निर्णय लेने के लिये सोलर पावर पार्क विकासकर्ता स्वतंत्र होगा।

(xi) विकसित निजी सोलर पार्क के प्रबंधन एवं संचालन का पूर्णतयः दायित्व सेालर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

(xii) सोलर पार्क के अन्दर सौर पावर की विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र पूलिंग सबस्टेशन, मीटरिंग एंव सुविधायें जैसे आन्तरिक रोड़, जल उपलब्धता, अप्रोच रोड़

एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण का दायित्व सौर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

(xiii) सोलर पार्क के लिये कनेक्टिीविटी प्राप्त करने का पूर्ण दायित्व सौर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

(xiv) सोलर पार्क विकसित करने हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2017 को क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) में पंजीयन शुल्क रू. 5000.00 प्रति मेगावाट + 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन दिया जायेगा।

(xv) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त आवेदन प्रारूप में उल्लेखित अभिलेख भी संलग्न किये जायेगे।

(xvi) सोलर पार्क विकास करने हेतु सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा पंजीयन के पश्यात 12 माह के अन्दर विद्युत निकासी हेतु STU से कनेक्टिीविटी प्राप्त किये जाने की कार्यवाही तथा फाईनेन्शीयल क्लोजर की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

(xvii) सोलर पार्क के वाहय पारेषण विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र यथा पुलिंग स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पार्क के निकट सबस्टेशन का निर्माण करने का दायित्व उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन में उल्लेखित तकनिकी एंव कामर्शियल प्रोसिजर के अनुपालन करते हुए CTU/STU का होगा।

(xviii) सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) में पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत एसटीयू में कनेक्टीविटी हेतु सम्पर्क किया जायेगा। एसटीयू द्वारा Technical fesibility का परीक्षण करते हुये Open Acess की अनुमति के साथ कनेक्टीविटी अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

(xix) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय–समय पर संशोधन के अनुसार वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदृणीकरण पर आकंलित व्यय का वहन सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(xxi) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 24 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सोलर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टीविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।